न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/70/2017

उनवान

1. पन्ना पिता केसा कंजर निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागोर तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. जगदीश पिता हीरा कंजर निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागोर
3. कमुडिया पिता हीरा कंजर निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागोर
4. प्रकाश पिता हीरा कंजर निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागोर तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. सरूपी पुत्री भूरा कंजर निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागौर
2. सन्तूडी पत्नि छगना कंजर निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागौर
3. कैलाश पिता रतन लाल कंजर निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागौर
4. प्रकाश पिता रतन लाल कंजर निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागौर
5. सुशीला पुत्री रतन लाल कंजर निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागौर
6. मैमा पुत्री रतन लाल कंजर निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागौर
7. श्रीमती सजनी पत्नि रतन लाल कंजर निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागौर
8. रसूलिया पिता खेमा कंजर निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागौर
9. कालू पिता भूरा कंजर निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागौर तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 54/13 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.1.2017

अधिवक्तागण :–

1. श्री राकेश सुराणा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. प्रत्यर्थी सख्या 1 से 9 अनुपस्थित
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय

दिनांक 18.6.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 क, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बागौर तहसील माण्डल जिला भीलवाडा मे आराजी नम्बर 18 रकब 1 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 19 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्रब 20 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 21 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 22 रकबा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 23 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 24 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा आराजी नमबर 25 रकबा 10 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजियात में से आराजी संख्या 18, 19 प्रतिवादी संख्या 8 के नाम पर दर्ज है एवं आराजी नम्बर 20 प्रतिवादी संख्या 9 के नाम पर दर्ज है । शेष आराजी संख्या 21 से 25 प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम पर दर्ज है। उपरोक्त हाल आराजी नम्बर के साबिक नम्बर निम्नानुसार है।

हाल आराजी नम्बर	साबिक आराजी नम्बर
18	6/336,
19	1/5, 5/5, 6/9, 6/37,
20	6/34
21	6/11
22	6/11
23	6/11
24	6/11
25	6/11

वादी संख्या 1 एवं वादी संख्या 2 से 5 के पिता हीरा जी का संवत 2015 से ही उक्त साबिक नम्बरो पर कब्जा,

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

काश्त एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है तथा दौराने सेटलमेण्ट साबिक नम्बरों के हाल नम्बर कायम किये गये जिन पर भी वादीगण का कब्जा, काश्त एवं उपयोग उपभोग निरन्तर चला आ रहा है। उपरोक्त आराजियात पर वादीगण का कब्जाकाश्त एव उपयोग उपभोग संवत 2015 से लगातर बहैसियत खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। भू प्रबन्ध विभाग के मिलान खसरे में कॉलम संख्या 25 मे अंकन कर रखा है कि 10 साल से पन्ना, हीरा, रतना पिता केसा कंजर को उपकृषक के रूप में इन्द्राज कर रखा है परन्तु वादीगण बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज हो लगान भी जमा करा रहे है। अपीलार्थीगण का 50 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जाकाश्त होने से वे खातेदार काश्तकार हो गये हैं। वादीगण ने उक्त आराजियात पर एक कुए का निर्माण भी करवाया है जो 80 फिट गहरा है जिसे पक्का बंधवाया है तथा उक्त कुए पर धाबडा, मोरी आदि का निर्माण करवाया है। डीजल इंजन भी लगा रखा है जिससे वादग्रस्त आराजियात की सिंचाई करते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार भी उक्त आराजियात के सारे हक हकूक वादीगण में निहित हो गये हैं प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजियात में कोई हक अधिकार नहीं रहा है? प्रतिवादीगण का नाम वादग्रस्त आराजियात में दर्ज रेकार्ड होने से उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक है कि वे राजस्व रेकार्ड में खातेदार दर्ज होने के कारण वादग्रस्त आराजियात को विक्रय, बय बक्षीस अथवा खुर्द बुर्द नहीं करें तथा वादग्रस्त आराजी नम्बर 18 रकब 1 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 19 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्रब 20 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 21 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 22 रकबा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 23 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 24 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा आराजी नम्बर 25 रकबा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

10 बिस्वा का वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादीगण का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण/वादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थीगण के अनुपस्थित रहने से अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि ग्राम बागौर की हाल आराजी नम्बर 18 से 25 जिसके साबिक आराजी नम्बर 6/336, 1/5, 5/5, 6/9, 6/37, 6/34, 6/11 है । उक्त आराजियात पर अपीलार्थीगण/वादीगण का अपने पिता के जीवनकाल से ही कब्जा काश्त होकर बहैसियत खातेदार उक्त आराजियात पर काबिज हो काश्त एवं उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजियात पर सेटलमेण्ट से कई वर्षो पूर्व से अपीलार्थीगण/वादीगण का कब्जा चला आ रहा है जिससे सारे हक अधिकार अपीलार्थीगण में निहित हो गये हैं। इसके संबंध में अपीलार्थीगण ने अधिनस्थ न्यायालय में दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की । जिसका सही तौर से अवलोकन किये बिना अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य को नहीं मानने का कोई आधार अपीलाधीन निर्णय में वर्णित किये बिना ही वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण/वादीगण को पूर्व में नहीं थी। अपीलार्थीगण द्वारा वर्ष 2013 में जमाबंदी की नकल निकलवाई उस समय जानकारी हुई। कि प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के नाम पर वादग्रस्त आराजियात गलत तौर पर दर्ज है। प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजियात पर कोई कब्जाकाश्त नहीं होने से उक्त सारे हक अधिकार अपीलार्थीगण/वादीगण में निहित हो गये हैं। जिससे अपीलार्थीगण वादग्रस्त आराजियात के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये हैं।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण ने काफी मेहनत कर एवं हजारों रूपये खर्च कर वादग्रस्त आराजियात को काबिलकाश्त बनाया है तथा अपीलार्थीगण/वादीगण ने वादग्रस्त आराजियात पर एक कुए का निर्माण भी करवाया है कुए को पक्का बंधवाया है। कुए पर धाबडा, मोरी आदि का निर्माण भी करया है। उक्त कुए पर डीजल पम्प सेट लगाकर उक्त आराजियात की सिंचाई कर काश्त करते हैं । अपीलार्थीगण का वादग्रस्त आराजियात पर बतौर खातेदार काश्तकार शांतिपूर्वक कब्जाकाश्त चला आ रहा है। इस कारण अपीलार्थीगण/वादीगण वादग्रस्त आराजियात के खातेदार काश्तकार हो गये हैं।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान भू प्रबन्ध के कर्मचारियों

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

ने साबिक नम्बर से हाल नम्बर बनाये जिसके मिलान खसरा में वादीगण/अपीलार्थीगण का नाम उप कृषक के रूप में दर्शाया है जबकि उक्त आराजियात पर वादीगण/अपीलार्थीगण बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है एवं सेटलमेण्ट के बाद भी अपीलार्थीगण/वादीगण ही काबिज काश्त है तथा लगान भी अपीलार्थीगण ही जमा करा रहे हैं। इस तथ्य को अपीलार्थीगण ने भलीभॉति दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया है। उसके बावजूद अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादीगण का वाद पत्र खारिज कर दिया जो निरस्त योग्य है।

9. प्रत्यर्थी संख्या 1 से 9 अनुपस्थित ।

10. राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात पर काबिज काश्त होने संबंधी अपीलार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

11. हमनें प्रत्यर्थी संया 1 से 9 के अनुपस्थित रहने से अपीलार्थीगण एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीगण का कथन है कि ग्राम बागौर की हाल आराजी नम्बर 18 से 25 जिसके साबिक आराजी नम्बर 6/336, 1/5, 5/5, 6/9, 6/37, 6/34, 6/11 पर अपने पिता के जीवनकाल से ही कब्जा काश्त होकर बहैसियत खातेदार उक्त आराजियात पर काबिज हो काश्त एवं उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजियात पर सेटलमेण्ट से कई वर्षो पूर्व से अपीलार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है जिससे सारे हक अधिकार अपीलार्थीगण में निहित हो गये हैं। वादग्रस्त आराजियात

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पर सेटलमेण्ट से पूर्व से ही अपीलार्थीगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अपीलार्थीगण ने वादग्रस्त आराजियात पर कुए का निर्माण भी करवाया है जिसे पक्का बंधवाया है। भू प्रबन्ध विभाग के मिलान खसरे में कॉलम संख्या 25 मे 10 साल से पन्ना, हीरा, रतना पिता केसा कंजर को उपकृषक के रूप में इन्द्राज कर रखा है परन्तु वादीगण बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज हो लगान भी जमा करा रहे है। अपीलार्थीगण का 50 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जाकाश्त होने से वे खातेदार काश्तकार हो गये हैं। अतः अपीलार्थीगण को वादग्रस्त आराजियात के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे।

12. राजस्व रेकार्ड प्रदर्श 1 के अनुसार ग्राम बागोर की जमाबंदी संवत 2067 से 2070 वादग्रस्त आराजियात में से हाल आराजी नम्बर 18 एवं 19 कुल रकबा 2.14 बीघा भूमि के खातेदार काश्तकार के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 8 का नाम रसूलिया पिता खेमा कंजर, सा. लक्ष्मणगढ कोलोनी, दर्ज रेकार्ड है। आराजी नम्बर 15 एवं 20 कुल रकबा 5 बीघा 04 बिस्वा का खातेदार काश्तकार कालू पिता भूरा कंजर प्रत्यर्थी संख्या 9 का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है। शेष आराजी नम्बर 21 लगायत 25 कुल किता 5 कुल रकबा 6 बीघा 03 बिस्वा में भूरा पिता खेमा कंजर का नाम दर्ज है।

13. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न खसरा भू प्रबन्ध विभाग संवत 2025 जो कि प्रदर्श 3 से 5 हैं का अवलोकन किया गया । जिसके अनुसार हाल आराजी नम्बर के सेटलमेण्ट से पूर्व साबिक आराजी नम्बर निम्नानुसार है :–

14. हाल आराजी नम्बर साबिक आराजी नम्बर

18 6/36,

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

19	1/5, 5/5, 6/9, 6/37,
19 20	6/34
20 21	6/11
21 22	6/11
22 23	6/11
23 24	6/11
24 25	6/11

15. उक्त दस्तावेज प्रदर्श 3 से 5 में नाम कृषक (गत भू माप में) आराजी नम्बर 18 का खातेदार काश्तकार रसूल्या वल्द खेमा कंजर साकिन देह लक्ष्मणगढ मजरादेह दर्ज रेकार्ड है। नाम कृषक (वर्तमान) मय पिता का नाम के कॉलम में भी रसूल्या पिता खेमा कंजर दर्ज रेकार्ड है। नाम उप कृषक में पन्ना, हीरा, रतना पिता केशा कंजर दर्ज है। आराजी नम्बर 19 का खातेदार काश्तकार रसूल्या वल्द खेमा कंजर साकिन देह लक्ष्मणगढ मजरादेह दर्ज रेकार्ड है। नाम उप कृषक में के कॉलम में जगमल वल्द सेवा कंजर दर्ज है। साबिक आराजी नम्बर 20 में खातेदार काश्तकार कालू पिता भूरा कंजर सा.लक्ष्मणगढ कोलोनी दर्ज है नाम उप कृषक में पन्ना वगैरह दर्ज रेकार्ड है। साबिक आराजी नम्बर 21 में भूरा पिता खेमा कंजर का नाम दर्ज है जबकि नाम उप कृषक में मदन वल्द मोहन मोची का नाम दर्ज रेकार्ड है। साबिक आराजी नम्बर 22 का खातेदार भूरा वल्द पेमा कंजर एवं नाम उप कृषक में प्यारा वल्द नगजी छीपा दर्ज रेकार्ड है। साबिक आराजी नम्बर 23 में खातेदार का नाम भूरा पिता खेमा कंजर नाम उप कृषक में पन्ना वगैरह दर्ज रेकार्ड है। साबिक आराजी नम्बर 24 व 24 में खातेदार का नाम भूरा वल्द खेमा कंजर एवं नाम उप कृषक में में पन्ना हीरा रतना पिता केशा दर्ज रेकार्ड है।

16. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नामान्तरकरण रजिस्टर में भूरा की मृत्यु हो जाने पर उसके

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वारिसान के नाम नामान्तरकरण 30.3.2011 को विरासत से दर्ज किया गया है। जो दस्तावेज प्रदर्श 2 है। उक्त स्वीकृति कोरम के प्रस्ताव संख्या 1 से दी गई है। अपीलार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजियात पर अपीलार्थीगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा है परन्तु अपीालार्थीगण ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे वादग्रस्त आराजियात पर अपीलार्थीगण का कब्जाकाश्त संवत 2024 से आदिनांक तक साबित होता हो। वादग्रस्त आराजियात वर्तमान में प्रत्यर्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

17. अपीलार्थीगण द्वारा स्वयं भी रेस्पोडेण्टगण का खातेदार काश्तकार होना स्वीकार किया है, तथा सेटलमेण्ट रिकार्ड में उपकृषक दर्ज होने व लम्बे समय से काबिज होने से एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा चाहते हैं। अपीलाण्ट/वादीगण द्वारा इस बाबत साक्ष्य भी प्रस्तुत कराई गई है। रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 से 9 जो रिकार्डेड खातेदार हैं उन्हें तामील नहीं हो सकने से नोटिस अखबार में साया कराये गये हैं, जिसके उपरान्त भी रेस्पोडेण्टगण उपस्थित नहीं आये हैं। अधिनस्थ न्यायालय पत्रावली मे मात्र सेटलमेण्ट विभाग के प्रमाणित रिकार्ड संवत 2024 को प्रदर्श कराया गया है। जिसमें अपीलाण्टगण उपकृषक के रूप में दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे अपीलाण्ट के कथन की ताईद होती हो। अपना पक्ष साबित करने का भार अपीलाण्टगण पर था, तथा कब्जा सिद्ध करना व एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी होना साबित करने में अपीलाण्टगण पूर्णतः विफल रहे हैं।

18. अपीलार्थीगण अपने वाद में अंकित कथनों को दस्तावेजी साक्ष्य से पुष्टि कराने में असफल रहे हैं।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन कर बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझतें हैं।

19. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.1.2017 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

20. निर्णय आज दिनांक 18.6.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

18/6/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/70/2017

उनवान

1. पन्ना पिता केसा कंजर निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागोर तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. जगदीश पिता हीरा कंजर निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागोर
3. कमुडिया पिता हीरा कंजर निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागोर
4. प्रकाश पिता हीरा कंजर निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागोर तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. सरूपी पुत्री भूरा कंजर निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागौर
2. सन्तूडी पत्नि छगना कंजर निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागौर
3. कैलाश पिता रतन लाल कंजर निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागौर
4. प्रकाश पिता रतन लाल कंजर निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागौर
5. सुशीला पुत्री रतन लाल कंजर निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागौर
6. मैमा पुत्री रतन लाल कंजर निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागौर
7. श्रीमती सजनी पत्नि रतन लाल कंजर निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागौर
8. रसूलिया पिता खेमा कंजर निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागौर
9. कालू पिता भूरा कंजर निवासी लक्ष्मणगढ कोलोनी, बागौर तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 54/13 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.1.2017

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/70/2017** मे **उपखण्ड अधिकारी, माण्डल** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

यह अपील तारीख 18.6.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री राकेश सुराणा प्रत्थर्थी संख्या 1 से 9 के अनुपस्थित रहने से वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 18.6.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.1.2017 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 18.6.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
सहायक अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन सहायक अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस